


न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

रीवा (म0प्र0)



₹.30/-

- 1— कैलाश सिंह तनय कल्याण सिंह उम्र 35 वर्ष
- 2— श्रीमती आशा सिंह पत्नी कल्याण सिंह उम्र 45 वर्ष
- 3— श्रीमती ऊषा सिंह पुत्री कल्याण सिंह उम्र 42 वर्ष
- 4— श्रीमती निशा सिंह पुत्री कल्याण सिंह उम्र 40 वर्ष
- 5— श्रीमती सीमा सिंह पुत्री कल्याण सिंह उम्र 30 वर्ष

सभी निवासी ग्राम करौदी टोला तहसील मानपुर जिला उमरिया  
(म0प्र0)

\_\_\_\_\_निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला उमरिया म0प्र0

\_\_\_\_\_गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर  
उमरिया जिला उमरिया प्रकरण क0  
88/स्व0 निगरानी/2014-15 आदेश  
दिनांक 28.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है :-

- 1— यह कि आराजी खसरा कमांक 533 रकवा 33.29 ए0 स्थित ग्राम करौदी टोला तहसील मानपुर जिला उमरिया है जो म0प्र0 शासन राजस्व की भूमि थी जिसमें 25.00 भूमि चारा व घास लगाने हेतु सुरक्षित कर दी गई जिसका खसरा क0 533/2 हुआ और खसरा क0 533/1 रकवा 8.21 ए0 म0प्र0 शासन राजस्व दर्ज रही आई जिसमें कई भूमिहीन लोग कृषि कर काबिज थे आवेदकगण की मॉ श्रीमती विमलेश सिंह आराजी खसरा क0 533/1 रकवा 1.011 हैं।

३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण नं. क्रमांक III/निग0/2017/4277

जिला—उमरिया

कैलाश सिंह/म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
५. ८. १९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक ८८/स्व० निगरानी/२०१४—१५ में पारित आदेश दिनांक २८.०९.२०१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक २५.०९.२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २३.१०.१९ को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेश्वरन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	